7.7.17 पत्रावली आदेश हेतु इन्द्राज पर पेश। वादपत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम नामडियास पटवार हल्का किलियावाला की आराजी नम्बर 58, 120, 121, 122, 123, 172, 201, 203, 272, 274, 277, 278, 402, 432, 449, 460 किता 16 कुल रकबा 30 बीघा 01 बिस्वा एवं आ.नं. 285, 286, 287, 288, 292, 293, कुल किता 06 रकबा 13 बीघा 18 बिस्वा। वादीगण की आराजी नम्बर 272 रकबा 3 बीघा 02 बिस्वा व आ.नं. 274 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा साबिक आराजी नम्बर 257/2, 257/1, भूमि के पड़ोस पूर्व में भैरू/हीरा, पश्चिम में रामू/गोपाल, उत्तर में देवी/हीरा वगैरा, दक्षिण में जयराम है।

वादीगण की 2 नाते वारी हक अधिकार के, साबिक व हाल आराजी नम्बर

[illegible]

[illegible]

भूमाल...

बाबू

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	2571/ रकबा 09 बीघा 15 बिस्वा, आ.नं. 2571/2 रकबा 10 बिस्वा कुल ~~रकबा~~ 10 बीघा 05 बिस्वा का वादी ताबेदार के अनुसार कन्वर्टेड रकबा 09 बीघा 15 बिस्वा बनता है जिस पर वादीगण काबिज है व उस का उपभोग करते चले आ रहे हैं, लेकिन सेटलमेंट के दौरान नवीन आराजी नम्बर 272, 274 उनके अराजिपात के नाप/कम नापे जिस का रकबा 05 बीघा 19 बिस्वा भूमि दर्ज की है जो 02 बीघा 15 बिस्वा भूमि का नाबजा नाम दर्ज किया गया। सेटलमेंट के अन्तर्गत वादीगण की आराजी का रकबा कम कर प्रतिवादी सं० नं० 2 की अराजिपात का रकबा बढा दिया गया है, जो गलत है उक्त आराजी का प्रतिवादी बजाय पर पत्ता दिया। की

अतः उक्त आराजियात पर
वादीगण का कब्जा निरन्तर
रूप से होकर उपयोग उपभोग चला
आते आ रहे हैं प्रतिवादीगण के
वादी की भूमि आदि व दखल
हो गई है। राजस्व रिकार्ड में
इन्द्राज दुरुस्ती बाबत उक्त भूमि
को वादीगण के नाम दर्ज कराने
को न्यायोचित है प्रतिवादीगण के जानकारी
आने से कारण बार बार भूमि के विरुद्ध
कार्यवाही करने की धमकी दे रहे हैं।

अतः राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज दुरुस्ती कर प्रतिवादीगण सं.1 एवं 2 के खाते की आराजी नम्बर 292,293 के रकबे मे से 0 बीघा 18 बिस्वा भूमि कम कर अपने खाते की आराजी नम्बर 272,274 मे दर्ज कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया।

आदेश

वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि ग्राम मायडिपास प० ह० किलिपाल के आराजी नम्बर 292,293 के रकबे के प्रतिवादीगण सं.1 एवं 2 के खाते मे 0 बीघा 18 बिस्वा भूमि कम कर वादीगण के आ.नं. 272,274 मे दर्ज करे व वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

आज दिनांक 7.7.2017 को निर्णय लिखा कर खुले इजलास मे सरे आम सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से खारिज हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, हमीरगढ

1. श्री सूरजमल पिता स्व. छुन्ना गुर्जर नि. नापडियास
2 " मथुरालाल पिता —— " ——
3 " सुखदेव पिता —— " ——
4 " गीता पुत्री —— " ——
5 " कालू S/o निलोब, गुर्जर —— " ——
6 " नारायण पिता —— " —— " ——
7 श्रीमती एजी पत्नी —— " —— वादीगण

बनाम

1– श्रीमती गीता देवी पत्नी सोहनलाल लढा नि. भीलवाड़ा
2- श्रीमती माया देवी पत्नी राजेश लढा —— " ——
3 तहसीलदार एवं उप पंजीयक, हमीरगढ

दावा बाबत– 88, 89, 92 व 188 रा.का.अ.
मुकदमा नम्बर :– 240/14
निर्णय दिनांक :– 7.7.17

वादी की ओर से .... की व प्रतिवादी की ओर से........................ उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 7.7.17 को (नाम पीठासीन अधिकारी श्रीमती रेणु मीना) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:–

वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि ग्राम नापडियास प.ह. किलिपाला के आराजी नम्बर 292, 293 के खाते के प्रतिवादीगण स. 1 व 2 के खाते से 01 बीघा 18 बिस्वा भूमि काट कर वादीगण के आ.न. 272, 276 मे दर्ज करे व वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगें।

यह आज तारीख 7.7.17 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर हमीरगढ

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ